

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
630	ता.प्र.सं.05 (क्र.1209) दि.24.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले के विकासखण्ड पुनासा एवं किल्लौद क्षेत्र में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य एवं विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) पदोन्नति प्राचार्यों के पदांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) संविदा शाला शिक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये पात्रता परीक्षा आयोजित करने एवं पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) शिक्षकीय संवर्ग के पदोन्नति के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा।		
631	परि.अता.प्र.सं.06 (क्र.90) दि.24.07.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सहायक संचालक(योजना) के पद पर पदोन्नति किया जाना।	भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। नियम प्रकाशित होने के उपरांत आगामी कार्यवाही संभव होगी।		
632	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.1304) दि.24.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले अंतर्गत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से शीघ्र किया जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
633	परि.अता.प्र.सं.83 (क्र.1305) दि.24.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर संभाग के अंतर्गत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाना।	(1) वर्ष 2015 के लिए संयुक्त संचालक, जबलपुर द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है यह प्रक्रियाधीन है। समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (2) पात्रताधारी शेष कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
634	परि.अता.प्र.सं.101 (क्र.1560) दि.24.07.2015 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	वर्ष 2012-2013 में बैतूल जिले में स्वीकृत शाला भवनों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं अपूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	कलेक्टर द्वारा एजेंसियों को "कारण बताओं नोटिस जारी कर" कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
635	अता.प्र.सं.42 (क्र.1081) दि.24.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय नवीन माध्यमिक शाला कछपुरा की प्रधानाध्यापिका मीनक चैतन्य के विरुद्ध शिकायत आधार पर प्रशासनिक स्थानान्तरण आदेश जारी करने एवं निरस्त करने की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।		
636	अता.प्र.सं.49 (क्र.1124) दि.24.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	चंबल संभाग अंतर्गत ए.ई.ओ. के स्वीकृत पदों पर शीघ्र पदस्थापना किया जाना।	ए.ई.ओ. की पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
637	अता.प्र.सं.78 (क्र.1422) दि.24.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के शासकीय उ.मा.वि.शाहपुर विकासखण्ड सिरमौर में पदस्थ प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
638	ता.प्र.सं.06 (क्र.1428) दि.24.07.2015 (श्री रामप्यारे कुलस्ते)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवास जिला मण्डला में स्वीकृत रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी किए जावेंगे।		
639	ता.प्र.सं.09 (क्र.944) दि.24.07.2015 (श्रीमती नीलम अभय मिश्रा)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरिया जिला रीवा में स्वीकृत चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना।	चिकित्सकों द्वारा किए गए चयन अनुसार शीघ्र ही पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे।		
640	ता.प्र.सं.10 (क्र.1054) दि.24.07.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, तकनीशियनों एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	(1) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (2) चिकित्सकों द्वारा चयन किए गए स्थलों हेतु नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शीघ्र आदेश जारी किए जावेंगे। (3) पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु म.प्र.व्यापम द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।		
641	ता.प्र.सं.12 (क्र.1291) दि.24.07.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	डॉ.ए.के.मौर्य, चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्था.केन्द्र. बैराठ जिला शिवपुरी का स्थानान्तरण आदेश प्रा.स्था.केन्द्र कुर्रापुर जिला सागर किये जाने के विरुद्ध मा.उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश की समय-सीमा में निराकरण न कर 05 वर्ष से अधिक का समय लग जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां। प्रकरण का परीक्षण कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
642	ता.प्र.सं.23 (क्र.1191) दि.24.07.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले सहित प्रदेश के समस्त जिलों में चिकित्सालयों में हीमो-डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाना।	जी हां। प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हीमो डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है तथा इस हेतु टेन्डर जारी किए जा चुके हैं एवं हीमोडायलिसिस इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है।		
643	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.134) दि.24.07.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले के 60 विस्तरीय सिविल अस्पताल बड़वाह का 100 विस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		
644	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.362) दि.24.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	100 विस्तरीय सिविल अस्पताल गंजबासोदा, जिला विदिशा में चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पदोन्नति से एवं चिकित्सा अधिकारी का रिक्त पद शीघ्र भरा जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। चिकित्सा अधिकारी के पद लोक सेवा आयोग से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।		
645	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.578) दि.24.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. की स्थापना शीघ्र की जाना एवं चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाना।	(1) जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (2) रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
646	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.579) दि.24.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा जिला श्योपुर के नवीन भवन के निर्माण हेतु समस्त प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण की जाकर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाना।	सर्वे उपरांत कन्सेप्ट प्लान तैयार करने का कार्य प्रचलन में है। कन्सेप्ट प्लान अनुमोदन पश्चात् प्राक्कलन का प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रशासकीय स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
647	परि.अता.प्र.सं.65 (क्र.1077) दि.24.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन एवं मझौली में स्वीकृत रिक्त चिकित्सकों की शीघ्र पदस्थापना की जाना।	चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना चयन उपरांत शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
648	परि.अता.प्र.सं.70 (क्र.1118) दि.24.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा खरीदी गई औषधि की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।		
649	परि.अता.प्र.सं.88 (क्र.1449) दि.24.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में कलेक्टर दर से ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों को पारिश्रमिक का समय पर भुगतान न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	सफाई कर्मियों को समय पर भुगतान न किये जाने की जांच के आदेश जारी किये गये हैं। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
650	अता.प्र.सं.62 (क्र.1307) दि.24.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना।	जी हां। प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
651	अता.प्र.सं.76 (क्र.1395) दि.24.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के सिविल अस्पताल लहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहोना, मछण्ड, बरहा, असवार, खिजौरा (रावतपुरा), दबोह एवं आलमपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना।	चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना चयन उपरांत शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
652	अता.प्र.सं.77 (क्र.1396) दि.24.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	प्रदेश में पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारी की निश्चित समय-सीमा में नियुक्ति किया जाना।	(1) अभिहित अधिकारी की नियुक्ति करने की कार्यवाही प्रचलित है। (2) निर्धारित समय-सीमा में अभिहित अधिकारी की नियुक्ति के लिए विभाग प्रयासरत् है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
653	अता.प्र.सं.79 (क्र.1423) दि.24.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	अपचारी डॉ.आई.एम.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के विरुद्ध विभाग द्वारा दिनांक 25.06.14 को कारण बताओं सूचना पत्र का प्रतिवाद उत्तर निर्धारित समय-सीमा में नहीं प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी के विरुद्ध समय-सीमा में कार्यवाही किया जाना।	नोटिस का प्रतिवाद उत्तर उन्हें प्राप्त होने तथा उसका परीक्षण किये जाने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
654	अता.प्र.सं.81 (क्र.1445) दि.24.07.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	सोनकच्छ, जिला देवास के शासकीय चिकित्सालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	एक्स-रे मशीन क्रय की गई है एवं अतिशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगभग 07 दिवस में स्थापित कर दी जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
655	ता.प्र.सं.19 (क्र.1097) दि.24.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर जिले में संचालित समस्त अशासकीय इंजीनियरिंग कालेजों में छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत एवं वितरित करने में की गई आर्थिक अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में जांच प्रक्रियाधीन है।		
656	परि.अता.प्र.सं.98 (क्र.1542) दि.24.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	वर्ष 2010 से 2014 तक की अवधि में म.प्र.वक्फ बोर्ड की बेशकीमती संपत्तियों की अवैध किरायेदारी और संक्रामण के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे गये। (2) शासन स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
657	परि.अता.प्र.सं.54 (क्र.934) दि.24.07.2015 (इन्जी.प्रदीप लारिया)	आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अपर संचालक, उपायुक्त/परियोजना प्रशासक/सहायक आयुक्त, सहायक संचालक/जिला संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य प्रथम श्रेणी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी वर्ग-2 एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति की जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
658	अता.प्र.सं.36 (क्र.935) दि.24.07.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के छात्रावासों में रजार्ड, फिनायल एवं अन्य सामग्री समय पर नहीं भेजे जाने की संभागीय उपायुक्त सागर द्वारा की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 24.07.2015 के आश्वासन)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक 24.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
659	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.1117) दि.24.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	जे.ए.एच.हॉस्पिटल, ग्वालियर में 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि में दवा एवं अन्य सामग्री खरीदी में की गई अनियमितताओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रचलित है। शिकायत की जांच जारी है।		
660	परि.अता.प्र.सं.91 (क्र.1459) दि.24.07.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाना।	चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
661	अता.प्र.सं.02 (क्र.30) दि.24.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए 1876, दि.03.09.2011 के पालनार्थ हमीदिया अस्पताल में आवश्यकतानुसार आवश्यक मशीन(उपकरण) शीघ्र लगाया जाना।	(1) स्वाशासी बजट से उक्त मशीनों को स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। (2) सभी आवश्यक मशीनें लगाये जाने हेतु प्रक्रिया नियमानुसार प्रचलन में है।		